



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042024-253550
CG-DL-E-04042024-253550

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2024/चैत्र 15, 1946

No. 99]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2024/CHAITRA 14, 1946

गृह मंत्रालय

(पुलिस -II प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2024

फा. सं. I-45023/05/2023-PP.—भारत के राजपत्र, असाधारण के खण्ड 1, भाग-I में दिनांक 26, अप्रैल, 2023 को प्रकाशित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2023 के नियम 22 के नीचे निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाता है:-

“बशर्ते कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वे उम्मीदवार जिनके द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र पर नायब तहसीलदार / नायब तहसीलदार के समक्ष प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं और वह केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2023 के आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख से पहले जारी किया गया है, तो वे उसी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र की एक प्रति तहसीलदार / सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रति-हस्ताक्षरित करवाकर आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख के बाद भी, लेकिन 16 अप्रैल, 2024 तक जमा करा सकते हैं, ताकि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2023 के लिए उनके दावों पर विचार किया जा सके।”

जूही वर्मा, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Police-II Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd April, 2024

F. No. I-45023/05/2023-PP.—In the Central Armed Police Force (Assistant Commandants) Examination -2023 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary dated 26th April, 2023, the following proviso is inserted below Rule 22:-

“Provided that in respect of candidates seeking reservation/relaxation benefits available for EWS category, it is clarified that candidates, who have submitted the requisite Income & Asset Certificate signed by the Naib Tehsildar / authority equivalent to Naib Tehsildar and issued not later than the closing date of the application for Central Armed Police Force (Assistant Commandants) Examination – 2023, may submit a copy of the same Income & Asset Certificate duly counter signed by the Tehsildar / the Competent Authority, even after the closing date, to the Commission up to 16th April, 2024, only, in order for their claims to be considered for the Central Armed Police Force (Assistant Commandants) Examination – 2023”.

JUHI VERMA, Director